संख्या: 67/2017/3709/12-2-2017-60(6)/2017 टीसी-5

प्रेषक,

पवन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
   वित्त/संस्थागत वित्त/सहकारिता/आई0टी0 इलेक्ट्रानिक्स/राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक आफ बडौदा, बडौदा हाऊस, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 06 अक्टूबर, 2017

विषय: फसल ऋण मोचन योजना के तृतीय चरण के क्रियान्वयन की समय-सारणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के अर्ह लघु एवं सीमान्त कृषकों को फसल ऋण मोचन योजना के तृतीय चरण के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

19 सितम्बर, 2017 से 11 अक्टूबर, 2017	जिला स्तरीय समिति द्वारा पोर्टल पर मार्क किया जाना।
12 अक्टूबर, 2017	जिला स्तरीय समिति द्वारा धनराशि की डिमान्ड जनरेट किया जाना।
13 से 14 अक्टूबर, 2017	एन0आई0सी0 की राज्य इकाई द्वारा वेलिडेशन चलाया जाना।
15 अक्टूबर, 2017	कृषि निदेशालय द्वारा देयक की तैयारी किया जाना।
16 अक्टूबर, 2017	कृषि निदेशालय द्वारा धनराशि का अन्तरण बैंकों की राज्य स्तरीय नोडल शाखाओं को किया जाना।
17 से 18 अक्टूबर, 2017	नोडल शाखाओं से खातों में धनराशि का अन्तरण, स्क्रॉल जनरेशन तथा प्रमाण पत्र प्रिंटिंग आदि।
23 अक्टूबर, 2017	कैम्प का आयोजन

2. कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:67 / 2017 / 3709(1) / 12-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
3. महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, लखनऊ।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।
5. निबंधक, सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।